

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुमांग-३ त०ना०त०,
संख्या: ७३० /३-त०ना०त०-३५ एन०टी०/२०२०
लखनऊ। दिनांक: १४ मार्च, २०२१
आदेश/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2017 के आधार पर नायब तहसीलदार पद हेतु चयनित निम्न तालिका में अंकित अभ्यर्थी को मा० अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र० एतदद्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली-2003 यथासंशोधित नियम-20(1) के अन्तर्गत नायब तहसीलदार के पद पर वेतनमान रूपया ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपया ४२००/- (सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत लेवल-६ में वेतन रू० ३५४००/-) में नियुक्ति प्रदान करते हुए, उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित जनपद में तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

| क० | रैक सं० | नाम | पिता/पति का नाम | स्थायी पता | तैनाती जनपद |
|----|------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | श्री ऋष्टुराज शुक्ल | श्री सत्यव्रत शुक्ल | ग्राम-विष्णुपुर, पो०-रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उ०प्र०, २३०३०४। | शाहजहाँपुर |

2— उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली-2003 (यथासंशोधित) के नियम-18 में विहित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के पश्चात् साढ़े चार माह के प्रशिक्षण हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

3— उपर्युक्त अभ्यर्थी द्वारा जब तक नियुक्ति के पश्चात् साढ़े चार माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक उपर्युक्त अभ्यर्थी से न्यायिक कार्य नहीं लिया जायेगा।

4— उपर्युक्त अभ्यर्थी की नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन होगी :-

(क) उक्त नियुक्त अभ्यर्थी नायब तहसीलदार सेवा नियमावली-2003 के नियम-21 के अधीन यथा उल्लिखित तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(ख) उक्त नियुक्त अभ्यर्थी को साढ़े चार माह का विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षणोपरान्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(ग) उक्त नियुक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी किन्तु अभ्यर्थी द्वारा विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, तो वह अपनी ज्येष्ठता को खो देगा तथा उसकी संशोधित ज्येष्ठता कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुरूप निर्धारित की जायेगी।

(घ) उक्त नियुक्त अभ्यर्थी को नायब तहसीलदार पद हेतु विहित विभागीय परीक्षा उनके परिवीक्षाकाल में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(च) यद्यपि यह नियुक्ति आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण करने के उपरान्त की जा रही है तथापि यदि भविष्य में यह संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रमाणीकरण प्रपत्र में दी गयी

जानकारी के अन्तर्गत कोई ऐसा तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई अन्य प्रतिकूल तथ्य सङ्ज्ञान में आता है, जो उसे शासकीय सेवा के लिए अनहूं करता हो, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा उसके विलद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व परिषद के आदेश से,

हृषि—

(मनीषा त्रिघाटिया)

आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री ऋतुराज शुक्ल पुत्र श्री सत्यप्रत शुक्ल, ग्राम-विष्णुपुर, पो०-रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उ०प्र०, 230304 को इस आशय से प्रेषित कि इस नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के पश्चात् जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर के समक्ष नायब तहसीलदार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अविलम्ब उपस्थित होने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार यादव)

अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,

कृते आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— जिलाधिकारी शाहजहाँपुर को इस आशय से प्रेषित कि अपने जनपद से सम्बन्धित नायब तहसीलदार के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अविलम्ब परिषद को उपलब्ध कराने के साथ ही उपरोक्त बिन्दु-३ में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 2— अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-९, लखनऊ।
- 3— अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, कार्मिक अनुभाग-४, लखनऊ।
- 4— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 5— मा० अध्यक्ष/आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ के अवलोनार्थ द्वारा निजी सचिव।
- 6— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन०आई०सी०) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 7— चरित्र पंजी सहायक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1/०३/२१
(अनिल कुमार यादव)

अपरभूमि व्यवस्था आयुक्त,

कृते आयुक्त एवं सचिव।